राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5714/2011

सोहन लाल शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य वित्त और अन्य

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री मुकेश राजपुरोहित, सुश्री डिंपल राजपुरोहित और सुश्री अदिति शर्मा.
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री महावीर बिश्नोई, ए.ए.जी, श्री एच.एस चुंडावत द्वारा सहायता प्रदान की गई।

माननीय श्रीमान. जस्टिस अरुण मोंगा

आदेश(मौखिक)

04/12/2024

1. याचिका कर्ता की शिकायत दिनांक 27.05.2008 (अनुलग्न 5) के एक आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत चिकित्सा प्रति पूर्ति के लिए उसका दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसने एक गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज करवाया था। इसके अलावा, वह दिनांक 16.06.2008 (अनुलग्न 6) के एक बाद के पत्र को रद्द करने की मांग करता है, जिसमें यह दोहराया गया था कि उसका दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

2. पहले प्रासंगिक तथ्य। याचिका कर्ता ने 31.01.2002 को सेवानिवृत्त होने तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.),जोधपुर में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। राजस्थान राज्य के एक स्थायी और नियमित कर्मचारी के रूप में, वह राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले चिकित्सा लाभों सहित सभी लाभों का हकदार था।

(28/05/2025 को सुबह 08:51:07 बजे डाउनलोड किया गया)

2.1. 25.05.2007 को याचिका कर्ता को दिल का दौरा पड़ा। आपात स्थिति में उन्हें इलाज के लिए जोधपुर के गोयल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने तत्काल सर्जरी की सलाह दी। परिणामस्वरूप, 01.06.2007 को याचिका कर्ता की अस्पताल में हृदय की सर्जरी हुई और 12.06.2007 को उन्हें छुट्टी दे दी गई।

2.2. संबंधित समय पर, अस्पताल अर्थात एस्कॉर्ट्स गोयल हार्ट सेंटर, जोधपुर ने एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली के सहयोग से हृदय संबंधी देखभाल सुविधाएँ प्रदान कीं। बीमारी से उबरने के बाद, याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 2,03,063.86 रुपये का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया। 02.03.2008 को, उन्होंने 25.05.2007 से 12.06.2007 तक अस्पताल में अपने प्रवेश की पुष्टि करते हुए एक हलफनामा भी प्रस्तुत किया।

2.3. दिनांक 16.06.2008 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसका इलाज वर्ष 2007 में एक गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में हुआ था।

2.4. गौरतलब है कि 2008 में, जोधपुर स्थित गोयल अस्पताल को प्रतिवादी विभाग द्वारा एक अधिकृत अस्पताल के रूप में मान्यता दी गई थी। इस मान्यता के बाद, अस्पताल में इलाज करा रहे अन्य राज्य कर्मचारियों के चिकित्सा प्रति पूर्ति दावों पर विधिवत कार्रवाई की गई और उन्हें स्वीकार किया गया। हालाँकि, याचिका कर्ता का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनके इलाज के समय अस्पताल को मान्यता प्राप्त नहीं थी। उनकी सर्जरी एक जानलेवा स्थिति में की गई थी, और कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं था, इसलिए यह विवाद का विषय नहीं है। इसलिए यह याचिका।

3. प्रति वादियों द्वारा अपने प्रति-शपथ पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह रुख अपनाया गया है कि पेंशनभोगियों की चिकित्सा प्रति पूर्ति *राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना*(इसके बाद "योजना" के रूप में संदर्भित)। यह योजना खंड 4 से 4(जी) के अनुसार केवल अधिकृत

(28/05/2025 को सुबह 08:51:07 बजे डाउनलोड किया गया)

अस्पतालों, क्लिनिकों या संस्थानों में पेंशनभोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपस्थिति और उपचार की अनुमति देती है। याचिका कर्ता का दावा इन प्रावधानों का पालन नहीं करता है। प्रति पूर्ति केवल निर्धारित नियमों और सीमाओं के तहत ही अनुमत है, और सरकारी कर्मचारी इन नियमों के तहत प्रदान की गई राशि से अधिक खर्च का दावा नहीं कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम प्रभाग) ने परिपत्र संख्या एफ.6(4)एफ डी (नियम)/03 पी टी दिनांक 05.05.2011 जारी कर चिकित्सा प्रति पूर्ति दावों के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए, जिनमें हृदय संबंधी सर्जरी और अन्य उपचार शामिल हैं। याचिका कर्ता अपनी बाईपास सर्जरी के लिए किए गए खर्च की पूरी प्रति पूर्ति का हकदार नहीं है क्योंकि इलाज एक निजी, गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में कराया गया था, जो योजना के प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए, वर्तमान रपट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और केस रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए जो बात उभर कर आती है, वह बहुत ही संकीर्ण दायरे में आती है, अर्थात, क्या एक सरकारी अधिकारी या पेंशन भोगी, किसी आपातकालीन स्थिति में, निजी अस्पताल में उपचार कराने के बाद, चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति पाने का हकदार है?

6. इस मुद्दे पर विचार करने से पहले, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि याचिका कर्ता एक आपातकालीन स्थिति में था, यह विवादित नहीं है, जैसा कि उत्तर में लिए गए रुख से पता चलता है।

7. याचिका का विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि चूंकि निजी अस्पताल को सूचीबद्ध नहीं किया गया था, इसलिए याचिका कर्ता का एकमात्र स्वीकार्य दावा सेवा नियमों के तहत अधिसूचित उसे देय व्यय की ऊपरी सीमा होना चाहिए।

(28/05/2025 को सुबह 08:51:07 बजे डाउनलोड किया गया)

8. प्रति वादियों के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि याचिका कर्ता को नियमों के अनुसार 48,000/- रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। उनका तर्क है कि याचिका कर्ता पैनल से बाहर के निजी अस्पताल में हुए खर्च के कारण अपने चिकित्सा बिलों के अनुसार दावे की शेष राशि पाने का हकदार नहीं है।

9. मैं समय-समय पर दिए गए निर्णयों की श्रृंखला के अनुसार, कानून की स्थापित स्थिति के आलोक में प्रति वादियों के विद्वान वकील द्वारा अपनाए गए रुख से खुद को सहमत नहीं कर पा रहा हूँ।

10. उदाहरण के लिए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। ***कन्हैया लाल दवे बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस. बी. सिविल रपट याचिका संख्या 420/2009***, जो बदले में एक अन्य डिवीजन बेंच मिसाल पर निर्भर करता है, जिसमें इसे नीचे बताया गया है:

> *"8. इस न्यायालय ने ज्ञानेंद्र कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में आपातकालीन स्थिति के मुद्दे पर विचार किया। 2009(4) डब्ल्यू.एल.सी (राज.)-95 में रिपोर्ट किया गया और माना कि जब परिवार का कोई सदस्य हृदय रोग से पीड़ित होता है, तो परिवार के अन्य सदस्य का मुख्य उद्देश्य उसका जीवन बचाना होगा। उस समय, जो भी अस्पताल उपयुक्त हो, उसकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि आपातकाल न तो कानून जानता है और न ही प्रक्रिया और जब मानव जीवन दांव पर हो, ऐसी स्थिति में, राज्य की अंतिम जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने अनिल कुमार सुर लिया बनाम राजस्थान राज्य में 2005(3) डब्ल्यू.एल.सी (राज.)- 396 में इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें खंड पीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी:-*
>
> *"सरकार किसी कर्मचारी पर मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान में इलाज कराने का दबाव नहीं डाल सकती। इन*

(28/05/2025 को सुबह 08:51:07 बजे डाउनलोड किया गया)

परिस्थितियों में सरकार केवल इतना कर सकती है कि संबंधित कर्मचारी को मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान में लागू दरों पर प्रति पूर्ति करें। इस संबंध में सुरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (एफआईआर 1996 एससी-1388) और पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम मोहन लाल जिंदल (2001) 9 एस.सी.सी-217) में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों द्वारा वहन किए गए चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति तब भी की जानी चाहिए, जब इलाज राज्य के बाहर किसी गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में कराया गया हो, भले ही इलाज से पहले संदर्भ न लिया गया हो।"

x-x-x-x-x-x

10.इस प्रकार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू चिकित्सा रियायत योजना के अनुसार, याचिका कर्ता के खिलाफ एकमात्र बाधा चिकित्सा बिलों की प्रति पूर्ति प्रदान करने का कारण यह है कि उनकी पत्नी का राज्य के बाहर एक गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज हुआ था और वह भी बिना किसी संदर्भ के। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय की खंड पीठ ने पहले ही यह देखते हुए इस मुद्दे को शांत कर दिया है कि भले ही इलाज किसी गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में और बिना किसी संदर्भ के किया गया हो, उसकी प्रति पूर्ति रियायत योजना में निर्धारित दरों पर की जानी चाहिए।

x-x-x-x-x-x-x"

11. प्रति वादियों के विद्वान अधिवक्ता से यह विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या उपरोक्त निर्णय यहाँ याचिका कर्ता के मामले पर लागू होता है; उत्तर हाँ में दिया गया। इतना ही नहीं, यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त एकल पीठ का निर्णय अंतिम हो गया है क्योंकि इसके विरुद्ध कोई अंतर-न्यायालय अपील दायर नहीं की गई थी।

(28/05/2025 को सुबह 08:51:07 बजे डाउनलोड किया गया)

12. इस आधार पर, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि इसका लाभ याचिका कर्ता को भी क्यों न दिया जाए, जिसकी स्थिति भी लगभग वैसी ही है। इस प्रकार, वर्तमान आदेश के पूर्ववर्ती पैरा 5 में उठाए गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है।

13. तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। प्रति वादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिका कर्ता के चिकित्सा बिलों का सत्यापन और कार्यवाही करें, और यदि वे सही पाए जाते हैं, तो उनके दावे पर निर्धारित दरों के अनुसार कार्यवाही की जाए, और पहले से भुगतान की गई राशि में से कटौती करके, शेष राशि बिल जमा करने की वास्तविक तिथि से 30 दिनों के बाद 6% ब्याज सहित भुगतान की जाए।

14. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे

233-/जितेन्द्र/लव

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(28/05/2025 को सुबह 08:51:07 बजे डाउनलोड किया गया)